फैक्स/ई–मेल/पंजीकृत

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

सेवा में,

महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

पत्र सं0– 1597/पन्द्रह–1–2020/ दिनांकः बस्तीः 20 जुलाई, 2020

विषय– जिलाधिकारी बस्ती की आख्या एवं अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी, सिविल बार एसोसिएशन बस्ती के पत्र के आधार पर न्यायिक अधिष्ठान बस्ती के समस्त न्यायालय/कार्यालय को एक सप्ताह के लिए बन्द किये जाने के संबंध में सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Court/इलाहाबाद/ दिनांकित 03.06.2020 मे बिन्दु सं0–14 एवं बिन्दु सं0–15 के अनुपालन में जिलाधिकारी बस्ती की आख्या दिनांकित 20.07.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्ट्रेट बस्ती के एक कार्मिक का कारोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके दृष्टिगत कलेक्ट्रेट बस्ती को आगामी 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट बस्ती से दीवानी न्यायालय 250 मीटर की परिधि में आता है, पिछले दिनों में जनपद में कारोना के एक्टिव केसेज में वृद्धि हुई है। जिससे स्पष्ट है कि जनपद में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों को न्यूनतम 7 दिनों के लिए बन्द किया जाना आवश्यक है। सिविल बार एसोसिएशन बस्ती के एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 20.07.2020 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कोरोना की गम्भीर समस्या को देखते हुए जिला न्यायालय कम से कम एक सप्ताह के लिए बन्द कर दिया जाये। उक्त आख्या एवं पत्र से सहमत होते हुए मेरे द्वारा आदेश सं0–199/2020 दिनांकित 20.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कोरोना वायरस महामारी के न्यायालय परिसर में संक्रमण के रोकथाम हेतु इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक बन्द करने का आदेश पारित किया गया है तथा दिनांक 25.07.2020 दिन शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा घोषित अवकाश एवं दिनांक 26.07.2020 को रविवारीय अवकाश है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

20/7/20

(ज्ञान प्रकाश तिवारी–प्रथम)
जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

(55)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बस्ती

आदेश सं0– 199 /2020

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Court/इलाहाबाद/ दिनांकित 03.06.2020 मे बिन्दु सं0–14 एवं बिन्दु सं0–15 के अनुपालन में जिलाधिकारी बस्ती की आख्या दिनांकित 20.07.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्ट्रेट बस्ती के एक कार्मिक का कारोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके दृष्टिगत कलेक्ट्रेट बस्ती को आगामी 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट बस्ती से दीवानी न्यायालय 250 मीटर की परिधि में आता है, पिछले दिनों में जनपद में कारोना के एक्टिव केसेज में वृद्धि हुई है। जिससे स्पष्ट है कि जनपद में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालयों को न्यूनतम 7 दिनों के लिए बन्द किया जाना आवश्यक है। सिविल बार एसोसिएशन बस्ती के एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 20.07.2020 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कोरोना की गम्भीर समस्या को देखते हुए जिला न्यायालय कम से कम एक सप्ताह के लिए बन्द कर दिया जाये। उक्त आख्या एवं पत्र से सहमत होते हुए मै भी इस विचार का हूँ कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को एक सप्ताह के लिए बन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों, जिलाधिकारी बस्ती की आख्या, अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी, सिविल बार एसोसिएशन बस्ती के पत्र एवं स्वयं से संतुष्ट होते हुए इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालय/कार्यालय को दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 24.07.2020 तक बन्द किया जाता है। दिनांक 25.07.2020 दिन शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा घोषित अवकाश एवं दिनांक 26.07.2020 को रविवारीय अवकाश है। उक्त अवधि में बेल एवं रिमाण्ड का कार्य अवकाश के दिनों की ही तरह किया जायेगा।

अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.07.2020, 21.07.2020 22.07.2020, 23.07.2020 एवं 24.07.2020 को नियत वादों की सुनवाई क्रमशः दिनांक 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020 एवं 28.08.2020 को की जायेगी। जमानत प्रार्थना पत्रों एवं प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों की सुनवाई समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा न्यायालय खुलने पर नियमानुसार किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय को ससम्मान अविलम्ब सूचना भेजी जाये।

20/7/20

जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

पृष्ठांकन संख्या /सामान्य आदेश–2020/दिनॉक : बस्ती : जुलाई, 2020

1. महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, बस्ती।
3. पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
4. समस्त न्यायालय/कार्यालय, जनपद न्यायालय, बस्ती।
5. अधीक्षक जिला कारागार, बस्ती।

6. मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती।
7. जिला सूचना अधिकारी/सहायक सूचना निदेशक, जनपद बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त अवकाश की सूचना का प्रचार–प्रसार निःशुल्क रूप से अपने स्तर से सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिवक्ता संघ, जनपद मुख्यालय, बस्ती।
9. जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) बस्ती।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) बस्ती।
11. नोटिस बोर्ड।

28/7/20

जनपद न्यायाधीश,
बस्ती

जनपद न्यायाधीश
बस्ती।

सिविल बार एसोसिएशन, जनपद–बस्ती (उ0प्र0)

जगदीश प्रसाद पाण्डेय
एडवोकेट
चैयरमैन
एल्डर्स कमेटी–बस्ती

मो0नं0–9956442204

श्री गोमती प्रसाद मिश्र
एडवोकेट
मो0नं0–9161316653

राधेश्याम गुप्ता
एडवोकेट
मो0नं0–8127010780

श्री विष्णु प्रताप सिंह
एडवोकेट
मो0नं0–9415672068

श्री श्रीधर राय
एडवोकेट
मो0नं0–9838310686

सदस्यगण एल्डर्स कमेटी
सिविल बार एसोसियेशन
बस्ती

दिनांक 20-7-2020

सेवा मे,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
बस्ती।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि जनपद मुख्यालय में तमाम जगहों पर कोरोना पाजिटिव मिले है तथा न्यायालय से सटे पुराना डाकखाना भी कोरोना संक्रमित एरिया घोषित किया गया है तथा माननीय जिलाधिकारी बस्ती द्वारा समस्त राजस्व एवं चकबन्दी न्यायालयभी गम्भीर स्थिति को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि कोरोना की गम्भीर समस्या को देखते हुए कम से कम एक सप्ताह के लिए जिला न्यायालय बन्द करने की कृपा करे, जिससे कोरोना की समस्या को रोका जा सके।

भवदीय–
जगदीशप्रसादपाण्डेय
(जगदीश प्रसाद पाण्डेय)
चैयरमैन
अध्यक्ष
एल्डर्स कमेटी–बस्ती।
20/7/20

Seen
D.J
20-7-20

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
बस्ती।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
बस्ती।

संख्या 4036 **/न्याय सहायक/2020—21** **दिनांक** 20 **जुलाई, 2020**

विषयः— **मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय संचालन के निमित जनपद बस्ती में कन्टेन्मेन्ट जोन एवं खतरे की स्थिति के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय आदेश संख्या 198/2020 व पत्र संख्या—1566/सामान्य आदेश—2020/दिनांक 17.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बस्ती कन्टेन्मेन्ट जोन एवं खतरे की स्थिति के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि कलेक्ट्रेट बस्ती के एक कार्मिक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिसके दृष्टिगत कलेक्ट्रेट बस्ती को आगामी 24 घण्टे के लिए सील कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट से दीवानी न्यायालय 250 मी0 की परिधि के अन्दर आता है। साथ ही अवगत कराना है कि पिछले दिनो में जनपद में कोरोना के एक्टिव कैसस की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे स्पष्ट है कि जनपद में संक्रमण तेजी से फैल रहा हैं।

अतः उक्त स्थिति में जनहित के दृष्टिगत अपने न्यायालय एवं अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन न्यायालयो को न्यूनतम 07 दिवस के लिए बन्द करने की कृपा करे, साथ ही उक्त अवधि में अति आवश्यक न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु व्यवस्था बनाने पर निर्णय लेने की कृपा करें।

भवदीय,

20/07/2020

(आशुतोष निरंजन)
जिला मजिस्ट्रेट/
चेयरमैन डीडीएमए,
बस्ती।

संख्या /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—

1—मा0 पीठासीन अधिकारी, कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती के पत्रांक 08/कोविड—19 दिनॉक 06.06.2020 के क्रम में सूचनार्थ।

2— पुलिस अधीक्षक बस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट/
चेयरमैन डीडीएमए,
बस्ती।

D.J.
20-7-22